क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2012–13

कार्यक्रम का नामः – अनुमण्डलीय अस्पताल की वार्षिक मरम्मति

बजट/एफ०एम०आर० शीर्षः– Annual Maintenance Grants - SDH

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्याः – B: 3.1.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकत्तम): – राज्य में 12 पुराने अनुण्डलीय अस्पताल है। इन भवनो की मरम्मति की आवश्यकता होगी। नवनिर्मित अस्पताल भवन में मरम्मति की आवश्यकता नही होनी चाहिए। जिन पुराने अनुमण्डलीय अस्पतालों का उत्क्रमण सदर अस्पताल में हो गया हैं उसे इसमें सम्मलित नही किया गया हैं। परन्तु अगर ऐसे किसी भवन में मरम्मति की आवश्यकता हो तो तकनिकी स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत कार्य कराया जा सकता है।

प्रसवगृह, शल्यकक्ष, सभी वार्ड एवं शौचालय की मरम्मति तथा रंगाई पूताई प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए। दरवाजा खिड़की की मरम्मति एवं इसका रंग–रोगन भी कराया जाना चाहिए। विधुत प्रतिष्ठान, जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन की आवश्यकतानुसार मरम्मति कराया जाना चाहिए। परिसर का विकास भी किया जा सकता है।

इकाई राशि (रू० में) : – एक लाख प्रति अनुमण्डलीय अस्पताल तथा कमिटेड व्यय की राशि

वित्तीय दिशा निर्देश : – यह कार्य जिला के किसी भी कार्यकारी एजेन्सी से रोगी कल्याण समिति द्वारा सक्षमता के अनुसार कराया जा सकता है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन का तकनिकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए। अगर इसमें कठिनाई हो तो किसी अन्य अभियंत्रण विभाग/निगम से तकनिकी स्वीकृति प्राप्त किया जा सकता है। तद्नुसार रोगी कल्याण समिति सक्षमतानुसार प्रशासनिक स्वीकृति देगी। प्रशासनिक अनुमोदन की प्रति उक्त प्राक्कलन की प्रति के साथ जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल को अवश्य दिया जाना चाहिए। वित्तीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

गत वर्ष आवंटित राशि से व्यय बहुत कम हुआ है। अतः समानुपातिक आवंटन दिया जा रहा है।

त्रैमासिक वित्तीय लक्ष्य या उससे अधिक व्यय किया जाना चाहिए ताकि आवंटित राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में हो सके। सिविल सर्जन एवं उपाधीक्षक रेफरल अस्पताल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह होगें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नामः– श्री आर0 बी0 पी0 यादव, भ0प्र0से0 (से0नि0)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : – 9470003009 /0612–3263162

SKumar